गैर सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के कर्मचारियों को दिए जा रहे भत्तों को कर के दायरे में लाया जाना

4577. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र की कुछ कम्पनियो और सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रम अपने कर्मचारियों को ऐसे भत्ते देते हैं जो कराधेय नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ऐसे सभी भत्तों को कर के दायरे में लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार के मामले मे 4,000 रुपये प्रति माह का वेतन पाने वाला कर्मचारी करदाता बन जाता है परन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र मे कर्मचारी 40,000 रुपये तक के भत्ते प्राप्त करने के पश्चात् भी करदाता नहीं बनते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस विषमता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) आयकर अधिनियम के अंतर्गत किसी कर्मचारी को उसके नियोजक से प्राप्त व्यय अथवा प्राप्त हुए सभी भत्ते कराधेय हैं। तथापि, कतिपय भत्तों के संबंध में कर से छूट की व्यवस्था अधिनियम मे निर्धारित शर्तों और सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए की गई है। इन विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक इस प्रकार का कोई भी भत्ता कराधेय है। सरकारी कर्मचारियों तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों के बीच विभिन्न भत्तों के लिए कर-व्यवहार के संबंध में कोई भेदभाव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए इन भागों के उत्तर के प्रश्न नहीं उठते हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गंदे नोटों को स्वीकार करने से इन्कार

4578. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंक अपने खाताधारकों से गंदे और फटे हुए नोट स्वीकार नहीं करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाओं को गन्दे और मामूली तौर पर कटे-फटे नोटों को मंजूर कर लेने की सलाह दी है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सभी करेंसी चेस्ट शाखाओं को कटे-फटे नोटों की सभी श्रेणियों को बदलने की पूरी शक्तियां प्राप्त हैं। गन्दे/कटे-फटे नोटों को मंजूर न करने के संबंध में जब कभी कोई विशेष शिकायत प्राप्त होती है, भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उसे सम्बद्ध के साथ उठाया जाता है।

Apprehension for Non-Observance of Customs Rules and Regulations

4579. SHRI B.K. HARIPRASAD: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of persons and firms have been apprehended for deliberate non-observance of Customs Rules and Regulation and if so, the details thereof for the last three years, year-wise; and

(b) what is the total number of such cases, indicating the total amount involved?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the table of the house.

Recovery of dues from BICL by SBI

4580. SHRI ASHWANI KUMAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether SBI is unable to realise its dues from British India Corporation Limited, Kanpur;

(b) whether because of misuse of funds by the BICL management SBI's future recovery procedures are seeming to be bleak and week; and

(c) if so, the details thereof and what steps Government propose to take to effect recovery?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c) The state Bank of India (SBI) have reported that British India Corporation Ltd. Kanpur (BIC) is a sick Central public Sector Undertaking. SBI has no record regarding misuse of funds by BIC. BIC have now been identified as a chronically sick Public Sector Undertaking for reference to the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR), who will consider the case regarding the future